1. Title (शीर्षक)

उत्तरीय छत्तीसगढ़ राज्य में बिरहोर जनजाति की शैक्षणिक स्थिति : एक मानवशास्त्रीय अध्ययन।

2. Introduction (प्रस्तावना)

विश्व परिदृश्य में, भारत जनजातीय जनसंख्या में, अफ्रीका के बाद दूसरे स्थान पर आता है। भारत में जनजातियों की संख्या, विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 8 प्रतिशत है। भारतीय आदिवासियों की अपनी संस्कृति और पारिस्थितिक तंत्र है। ये आदिवासी समूह, सुदूर वनांचलों में निवास करने वाली, पृथक, विकास के पहुँच से दूर, अपने संस्कृति और समाज में रहने वाली अत्यंत पिछड़ी जनजातियाँ हैं। इनका यह अलगावस्वरूप उनके राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन के लिए काफी हद तक जिम्मेदार है, जिसका मुख्य कारण इनमें अज्ञानता है। ये केवल प्रकृतिवादी होते है, अतः इन्हें समाज के मुख्य धारा में लाने के लिए शिक्षित करना अनिवार्य है, शिक्षा भी ऐसी कि इनके सांस्कृतिक व सामाजिक जीवन में हस्तक्षेप न हो। मानव जीवन में शिक्षा की भूमिका का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है और यह प्रामाणिक तथ्य भी है कि शिक्षा के अभाव में व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक विकास अपेक्षित स्तर तक नहीं हो सकता, क्योंकि शिक्षा मनुष्य की सोच और आचरण में गुणात्मक परिवर्तन लाता है, जिसमें व्यक्ति दूसरों की अपेक्षाओं के अनुरूप अपने व्यवहारों को ढालता है। भारत में, आदिवासी शिक्षा और आदिवासी विकास, नीतिपरख है। फिर भी आदिवासी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई सोच और नई दिशा में नए सिरे से प्रयास की जरूरत है, जिसमें नई नीति और प्रशासनिक पहलूओं को आदिवासी शिक्षा की गुणवत्ता के सुधार पर केंद्रित करनी चाहिए। जैसाकि सामान्य विकास प्रक्रिया द्वारा आदिवासी समुदायों को संविधान के प्रावधान के द्वारा अधिसूचित किया गया है व सरकार इनके उत्थान के लिए विशेष कार्यक्रम व योजनाएँ क्रियान्वित कर रही है। विभिन्न शासकीय योजनाकारों द्वारा आदिवासियों की समस्याओं से निपटने व अन्य सुविधाएँ देने हेतु शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है, फिर भी आदिवासी समुदायों में शिक्षा का विकास कुछ हद तक दृष्टिगोचर है, चूँकि शिक्षा ही जनजातियों में समृद्धि, सफलता और सुरक्षा का निर्धारण करेगा,अतः शिक्षा जनजातियों में एकीकृत विकास का आधार हो सकता है,(गीथा एवं रेवथी, 2012)।

'भारत में प्रत्येक आदिवासी समाज की अपनी परंपरागत शिक्षा प्रणाली है और वे स्वयं को शिक्षित, बचपन से अपने परिवार, वंश और समाज के सदस्यों में समाजीकरण की प्रक्रिया के द्वारा करते हैं'(सहाय एवं द्वारी, 1998)। स्वंतत्रता प्राप्ति के पूर्व प्रायः शत–प्रतिशत जनजातियाँ अशिक्षित थी तथा अज्ञानतावश विभिन्न प्रकार के अत्याचारों, दुखों, अन्याय आदि से शोषित थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात जनजातियों के शिक्षा स्तर को उठाने हेतु अनेक प्रयास भारत सरकार व राज्य सरकारों की ओर से संपन्न किये जा रहे हैं, जिस कारण शिक्षा के अधिकार व अवसर हेतु प्रावधान बनाये गये हैं। भारतीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, 1976 तक शिक्षा राज्य का विषय था, किन्तु 1976 में, 42वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ताकि केन्द्र सरकार शिक्षा संबंधी नीतियाँ और कार्यक्रम तैयार करके इनकी निगरानी करने में मुख्य भूमिका निभा सके। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की शिक्षा संबंधी संवैधानिक प्रावधान का निर्माण शासन द्वारा प्रस्तुत है। जिसे समाज के कमजोर वर्गों के लाभार्थ इन प्रावधानों को पूर्ण उपयोग किये जाने की आवश्यकता है। शिक्षा के क्षेत्र में पचास के दशक से कुछ उन्नति हुई है, सन् 1950 से अब तक पंचवर्षीय योजनाओं के अनुसार, शिक्षा में काफी व्यय एवं प्रसार किया गया व नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनायी गई तथा सन् 1990 तथा 1992 में इसकी समीक्षा की गई व इसके पश्चात इसमें अनेक सुधार किये गये। शिक्षा के विकास के लिए रूपरेखा तैयार की गई और अनेक नीतियों पर सलाह दी गई (हसनैन,2000 एवं शर्मा,2007)। अतः स्वतंत्र भारत के लिए निरक्षरता की स्थिति वर्तमान में न केवल चिन्ताजनक है, वरन् एक अभिशाप है। चूंकि अज्ञानता तथा निरक्षरता की नींव पर प्रजातांत्रिक भारत का निर्माण नहीं किया जा सकता है, और न ही अधिकांश देशवासियों को देश की मुख्य धारा से अलग रखा जा सकता है। राष्ट्र की संपन्नता, शांति, उन्नति व प्रगति का शिक्षा से गहरा संबंध है। इसलिए मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में रखा गया है। शिक्षा के बिना तो समाज में न्याय, स्वतंत्रता तथा शांति जैसे आदर्शों को कायम रखना असम्भव सा प्रतीत होता है,(त्रिवेदी, 2003)।

भारत में जनजातियों की जनसंख्या की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का स्थान मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान और झारखंड के बाद सातवें स्थान पर है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1,35,191 वर्ग कि.मी. है। 1 नवंबर 2000 को गठित छत्तीसगढ़, भारत का 26वाँ

राज्य है, यह एक जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र है, जिसमें 5 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ क्रमशः कमार, अबुझमाड़िया, पहाड़ीकोरबा, बिरहोर और बैगा निवासरत है, ये भारत सरकार द्वारा मान्य 'आदिम जनजातियाँ ' है। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 31 अनुसूचित जनजातियाँ निवासरत है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या 2,55,40,196 है जिसमें कुल पुरूष संख्या 1,28,26,915 व कुल स्त्री संख्या 1,27,12,281 है एवं जनसंख्या घनत्व (प्रतिवर्ग कि.मी) 3,445 व दसवर्षीय जनसंख्या वृद्धि दर (2001–2011 प्रतिशत में) 360.45 है तथा स्त्री–पुरूष अनुपात (प्रति हजार पुरूष पर स्त्री संख्या) 976 है। छत्तीसगढ़ राज्य अपने सामाजिक, सांस्कृतिक व विभिन्न क्षेत्रों में विकास के दृष्टिकोण से एक नई पहचान बना रहा है, जो वर्तमान में 27 जिलों से सुसज्जित है (वैष्णव, 2008 एवं भारत की जनगणना, 2011)।

भारत देश में 'बिरहोर' विशेष पिछड़ी जनजाति है। बिरहोर शब्द में 'बिर' का अर्थ 'जंगल' व 'होर' का अर्थ 'आदमी' है, अर्थात् बिरहोर का मतलब 'जंगल के आदमी' से है। यह आदिवासी काफी हद तक एक निश्चित समूह के साथ खानाबदोश जनजाति है, जो निर्वाह की तलाश में जंगल से जंगल घूमते रहते है। यह जनजाति बिहार के छोटानागपुर पठार के रांची, गुमला और हजारीबाग जिलों में एक खानाबदोश समुदाय है, और ये मध्यप्रदेश(छत्तीसगढ़), महाराष्ट्र, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी निवासरत हैं। इनकी भाषा मुंडरी और संथाली का मिश्रण है। वे 'सादरी' और 'हिन्दी' भी बोलते है और इनकी अपनी मातृभाषा आस्ट्रो–एशियाटिक को माना गया हैं, यह अपने निवासरत स्थान की क्षेत्रीय भाषा का भी ज्ञान रखते हैं। ये मांसाहारी होते हैं और सुअर के मांस व अन्य जानवरों के मांस के अलावा गैर शाकाहारी व सड़ा मांस भी खाते हैं। मुख्य आहार में दालों के विभिन्न प्रकारों के साथ, चावल, मरूआ और गोंदिल भी लेते हैं, तथा खाना पकाने के लिए सरसों, डोरी और जेठानी के तेल का उपयोग करते हैं। ये चावल बियर (हरिया) और आसुत शराब (दारू) का नियमित सेवन करते हैं। इनका मुख्य कार्य रस्सी बनाने व रेशा संबंधी अन्य कार्य के साथ टोकरी, झाडू आदि बनाने का कार्य भी करते हैं (रॉय,1978)। बिरहोर जनजाति में गरीबी, शिक्षा की कमी, अंधविश्वास, अस्वच्छता, बीमारी व कुपोषण आदि कई समस्याएं व्याप्त है, किन्तु शासकीय विकास कार्यक्रम शिक्षा, संचार, यातायात तथा बाहय संपर्क के कारण इनमें परिवर्तन आया है और ये अब स्थाई झोपड़ी बनाकर रहने लगे है, फिर भी इनमें अन्य विशेष परिवर्तन नहीं आ पाने के कारण और पूर्वानुसार जीवन व्यतीत करने के कारण, ये आज भी भारत में विशेष पिछड़ी जनजाति (PTGs) की सूची में संधारित है। पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाली ये जनजाति जो ''आदिमजाति'' कहलाती है, शासकीय अनुसूची में जुड़ने से अनुसूचित जनजातियाँ कहलाने लगी है और शासन ने संविधान में पांचवी एवं छठवीं अनुसूची के तहत, अनुच्छेद–342 में विशेष स्थान दिया है तथा विशेष योजनाओं व नीति के तहत इन जनजातियों को समाज की सामान्य सामाजिक व सांस्कृतिक रूपरेखा में रखते हुए समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है साथ ही इनकी सामाजिक व सांस्कृतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए आदिवासी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। जिसके तहत विभिन्न योजनाओं, रणनीतियों व विशेष कानूनी व्यवस्थाओं व संरक्षण का भी ध्यान शासन द्वारा निर्देशित है, (वैष्णव,2008)।

इन जनजातियों के दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों में निवास करने के कारण इनके स्थलों पर सरकारी विद्यालय प्रारंभ करना कठिन होता है, क्योंकि गाँवों की दुर्गम स्थिति, पहुँचविहीनता एवं परस्पर दूरी, शिक्षा प्राप्त करने में रोड़े अटकाती है। परिवर्तित मौसम तथा बारिश बच्चों के आने–जाने में कठिनाई पैदा करती है एवं सरकारी विद्यालयों में शिक्षक की अनुपस्थिति के कारण उपलब्ध शिक्षा संबंधी व्यवस्था अप्रभावी व हतोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है, इसके अतिरिक्त, इनके आर्थिक जीवन में सभी परिवार के सदस्यों की भूमिका भरण–पोषण हेतु महत्वपूर्ण होती है, न कि शिक्षा हेतु । इसलिए जनजातीय बच्चे विद्यालय न जाकर आर्थिक व उनसे संबंधित गतिविधियों में भागीदारी दर्शाते हैं, अतः आर्थिकतंगी एवं साधनहीनता विद्यालय न जाने के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है (शर्मा, 1999)। उपरोक्त कारणों से अधिकांश बच्चे प्राथमिक स्तर से पूर्व अध्ययन छोड़ देते है, जिससे अशिक्षा ने इन जनजातियों को अंधविश्वासों, कुरीतियों एवं कुसंस्कारों से ग्रस्त व त्रस्त बनाये रखा है और ये सदैव शोषित भी होते रहे है। ऋणग्रस्तता एवं भूमि स्वामित्व का स्थानान्तरण, शिक्षा के अभाव का ही परिणाम है और वर्तमान की शिक्षा पद्धति इनकी आवश्यकताओं एवं आदर्शों के अनुरूप नहीं होने के कारण आज भी इनमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं दर्शाती है। अब जबकि राज्य व केन्द्रीय सरकारों ने इन्हें शत्–प्रतिशत सुविधायें देना प्रारम्भ किया है तब जनजाति छात्रों की संख्या में वृद्धि होने लगी है, लेकिन अभी भी उच्च प्राविधिक एवं विज्ञान की शिक्षा में जनजाति छात्रों की संख्या नगण्य है। अतः ऐसे विभिन्न कारण शैक्षिक सुविधाओं की आपूर्ति हेतु जनजातियों में शिक्षा संबंधी अध्ययन दृष्टिगोचर कराती है (त्रिवेदी, 2003)।

3. Review of literature

(पूर्व में किये गये अध्ययनों की समीक्षा)

मदन (1952) के अनुसार, आदिवासी साक्षरता को उचित व स्पष्ट बनाने हेतु क्रमशः तीन मुख्य बातें आवश्यक है–स्थानीय शिक्षक, शिक्षा की स्थानीय विधि और स्थानीय बोली, ताकि आदिवासियों का समुचित विकास संपन्न किया जा सके। विद्यार्थी (1955) ने अपने अध्ययन में, आदिवासियों को शिक्षित करने का असाधारण कार्य अपने हाथ में लिया और अपनी प्रेरणा से आदिवासियों को शिक्षित करने, उनके बच्चों और माता–पिता की शिक्षा संबंधी समस्याओं पर एक दिशा प्रदान की है, तथा आदिवासियों की अन्य विभिन्न समस्याओं पर शिक्षा हेतु शिक्षकों के प्रयासों द्वारा अपने अध्ययन में सफलता भी प्राप्त की। इन्होंनें टांडा क्षेत्र में आदिवासी बच्चों हेतु स्कूल निर्मित करने व उन्हें स्कूल भेजने के लिए माता–पिता को प्रेरित किया। हालांकि महिला एवं बच्चों को स्कूल भेजा जाना आदिवासियों को पसंद नहीं था फिर भी चकारी और अमारी में काफी संख्या में आदिवासियों बच्चों की संख्या दर्ज की, किंतु टांडा के अन्य क्षेत्रों में साक्षरता कार्यक्रम की ज्यादा सफलता नहीं मिली, मुख्यतः बांसो, चलान और जरांगा में। इन्होंनें टांडा के लोगों की वित्तीय समस्याओं, तत्काल भोजन और शिक्षको को उपलब्ध कराने एवं शिक्षा संबंधी साक्षरता कार्यक्रम में नृविज्ञान विभाग के योगदान को महत्वपूर्ण आधार माना है। ऐल्विन (1963) के अध्ययनानुसार, प्रारंभ में आदिवासी क्षेत्रों में औपचारिक शिक्षा को बढ़ावा देने में कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। विशेषतः आदिवासी बच्चों की, शिक्षा के क्षेत्र में उनके माता–पिता कम से कम रूचि रखते हैं, और परिवारों में बड़े हो गए लड़के या लड़की को आर्थिक कारण से स्कूल भेजना अनिवार्य नहीं समझते है तथा बहुत से माता–पिता बच्चों को स्कूल भेजने के लिए अधिक काम करके खर्च नहीं कर सकते। आदिवासियो की पारंपरिक पद्धति भी शिक्षा प्राप्त करने में अव्यवस्था प्रस्तुत करती है। बसु (1963) के अनुसार, सामाजिक शिक्षा को समाज में जीवन के लिए शिक्षा के रूप में लिया जा रहा है, जिसे जनजातियों के बीच प्रचलित सामाजिक प्रथाओं को समायोजित करने के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि वे अपनी बोली या भाषा, धार्मिक अनुष्ठान और पौराणिक कथाओं, सामाजिक संस्था, कला, गीत, नृत्य और कह रही कहानी के माध्यम से अपनी संस्कृति व्यक्त करते हैं। जनजातियों में विशेष सत्य यह है कि वे अभी भी अपने पैतृक संस्कृति के तहत जीवन को समान तरीके से अधिग्रहण कर बाह्य प्रभावों पर उजागर नहीं कर रहे हैं जिसके कारण उनके विकास में कठिनाईयां आ रही है। चक्रवर्ती एवं सिंघरोल (1988) के अध्ययन में, आदिवासी शिक्षा के संदर्भ में औपचारिक शिक्षा एक नया ढाँचा प्रदान करने में विफल रहता है, क्योंकि आदिवासियों को विशेष रूप से अपने समूहों, कम व्यवस्था और विभिन्न सामाजिक–संस्कृति के साथ कम आर्थिक हालत के बारे में पता होता है जो कि मनोवैज्ञानिक मतभेद पैदा करते है, जिससे आदिवासियों की शिक्षा स्थिति के समस्या को सुलझाने में कठिनाईयाँ आती है। विभिन्न शोधकर्ताओं ने आदिवासी की समस्या का समाधान हेतु आदिवासियों की शिक्षा में उच्चतर भागीदारी प्रस्तुत करना अनिवार्य बताया है। अतः आदिवासी क्षेत्रों में विकास की कुँजी, शिक्षा को माना जा सकता है। हरेदिया (1995) के मतानुसार, सामाजिक परिवर्तन के लिए विकास संबंधी दुविधा को सफलतापूर्वक संपादित करने के लिए एक कड़ी के रुप में शिक्षा शास्त्र की आवश्यकता है। जिसमें इन्होंनें आदिवासीयों के सांस्कृतिक स्वायत्तता को जुटाना या सिर्फ उनकी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि ऐसा एकीकरण है कि वे अल्पसंख्यक दर्जे के निवारण के साथ अपने आप को विकास में शामिल कर लें। इससे आदिवासी शिक्षा महत्वपूर्ण और आवश्यक भूमिका के लिए प्रस्तुत होगी।

गौतम (2003) ने एक जनशाला में नौ भारतीय राज्यों में पाँच संयुक्त राष्ट्र एंजेसियों (यू.एन.डी.पी., यूनिसेफ, यू. एन.एफ.पी.ए., यूनेस्को और आई.एल.ओ.) द्वारा सुदूर समुदायों के लिए प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकरण हेतु एक संयुक्त कार्यक्रम के तहत शैक्षिक रूप में लागू किया जाना तय किया। इस जनशाला कार्यक्रम में आदिवासी क्षेत्रों के स्कूलों में आदिवासी बच्चों के शाला त्यागने की दरों का उच्च रिकार्ड जारी रहने के आँकड़े एकत्र हुए है, जिसका प्रमुख कारण ज्यादातर राज्यों में शिक्षा का माध्यम व क्षेत्रीय भाषा का है। इसमें अधिकांश आदिवासी बच्चों के स्कूलों में गैर आदिवासी शिक्षकों की नियुक्ति होने पर शिक्षक की भाषा बच्चों की समझ में नहीं आती है। इस हेतु आदिवासी शिक्षा के संदर्भ में भाषा के मुद्दे पर बहस हुई व शोधकर्ताओं ने तर्क दिया कि स्कूली शिक्षा की प्रक्रिया में भाषा के उपयोग के संबंध में एक ही प्रकार की नीति अन्य भाषाई लोगों हेतु एक बाधा के रूप में है, अतः हिस्सा लेने वाले राज्यों के वर्तमान शासन के नीतिगत छात्रों में आदिवासी क्षेत्रों में शासकीय स्कूलों में शिक्षा के माध्यम के संबंध में भाषा की जरूरतों को पूरा करने पाठ्यपुस्तकों और पाठ्यक्रम के विकास, शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में आदिवासी बच्चों की शिक्षा हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण आदि देने पर बल दिया गया व माता–पिता और बच्चों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया गया तथा अन्य स्कूलों में शिक्षा के रूप में शिक्षकों की भाषा के मुद्दों पर

मातृभाषा का उपयोग करने का मुद्दा रखा गया है। देसाई एवं कुलकर्णी (2008) ने, भारतीय समाज को जाति और धर्म के आधार पर शिक्षा, रोजगार और आय को असमानता से ग्रस्त पाया और भारतीय समाजों में शिक्षा हेतु आरक्षण पर भेदभाव संबंधी नीतियों के आँकड़ों को प्रस्तुत किया है। इन्होंनें अपने अध्ययन के परिणामों में बच्चों और युवा वयस्कों की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताया कि, विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ उच्च आय वर्गों में अधिकतर, जबकि कम आय वाले आदिवासियों व दलितों में कमतर दिखाई पड़ता है। जैन एवं शर्मा (2009) के द्वारा, मंडला जिला (म.प्र.) के 400 बैगा परिवारों (घरों) में अपने उद्देषित अध्ययन में साक्षरता को दैनिक जीवन में बेहतर योगदान हेतु माना है। और बताया कि शिक्षा सकारात्मक दृष्टिकोण से देखभाल की सुविधा, सामाजिक, धार्मिक ओर वर्जित प्रथाओं के विभिन्न पहलुओं में जागरूकता, टीकाकरण और जागरूकता के स्तर के उपयोग की पारिस्थितिकी, आर्थिक हालत व उपयोगी वस्तुओं के तेजी से निर्धारण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तथा शिक्षा द्वारा व्यक्तियों के विचार, दिशा परिवर्तन आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले सीधे प्रभाव का पता चलता है। बगाई व नंदी (2009) के अध्ययन में, व्यक्तियों और समाज, व्यक्तिगत निधि में सुधार, क्षमता के स्तर का निर्माण, बाधाओं पर काबू पाने के अवसरों पर सुधार व अन्य निरंतर सुधार के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। आदिवासी शिक्षा हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के निर्माण आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान और आर्थिक समृद्धि के बीच एक संतुलन बनाये रखने तथा आदिवासी बच्चों को स्कूलों के द्वारा समाज की मुख्य धारा में लाने का सुनिश्चित स्वरूप है। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली प्रभावी समूह के लिए उपयोगी बताया गया है जिसमें इनकी पहचान और इन समूहों को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु औपचारिक शिक्षा प्रणाली का समर्थन किया है। मुखर्जी (2009) ने, भारतीय शिक्षा प्रणाली में भारतीय आदिवासी छात्रों की भागीदारी के विश्लेषण में असंगतता को दिखाते हुए, आदिवासी संस्कृति के साथ, आदिवासी संकुल और उनके दलित वर्गों के बीच शैक्षिक उपलब्धि में जाँच प्रस्तुत किया है तथा आदिवासियों की शिक्षा हेतु तत्वों की पहचान, जनजातीयों की सामाजिक स्थिति का आकलन और आदिवासी छात्र–छात्राओं का शिक्षकों के साथ सही सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास पर बल दिया है।

कृथीगा (2011) ने अपने अध्ययन में, अनुसूचित जनजातियों के विभिन्न समस्याओं को समाहित कर शोध प्रस्तुत किया है व अनुसूचित जनजातियों में शिक्षा के महत्व, भारत सरकार द्वारा शिक्षा को बढ़ावा देने, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए, राज्य की भूमिका पर बल दिया है। गीथा एवं रेवथी (2012) के अध्ययन में, भारत की जनजातियों की अपनी संस्कृति व पारिस्थितिकतंत्र है। सामान्य विकास प्रक्रिया द्वारा आदिवासी समुदायों को संविधान में पारित कर दिया गया है और सरकार उनके उत्थान के लिए विशेष योजनाएँ क्रियान्वित कर रही हैं। विशेषतः शिक्षा संबंधी, जिसमें भारतीय आदिवासी शिक्षा और आदिवासी विकास नीति परख हैं। आदिवासी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक नई सोच और नई दिशा में नए सिरे से प्रयास की जरूरत है। नई नीति और प्रशासनिक पहल के साथ ही आदिवासी शिक्षा के लिए गुणवत्ता की मात्रा में सुधार के पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि इन्हें समाज की मुख्यधारा में लाया जा सके। पद्मनाभन एवं कुमार (2013) की अवधारणा में, जनजातीय छात्रों में स्वयं के द्वारा, शिक्षा के प्रति मनोभाव पर अध्ययन करने का प्रयास किया है। इसके लिए इन्होंनें निदर्शन तकनीक का प्रयोग कर माध्यमिक विद्यालय के 515 आदिवासी छात्रों को चुना, जिसमें इनके द्वारा ''शिक्षा और आत्म अवधारणा'' इन दो उपकरणों का प्रयोग कर नमूने के आकड़े संग्रह किया गया। इससे प्राप्त अध्ययन निष्कर्ष में इन्होंनें आदिवासी विद्यालय के छात्रों की शिक्षा के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण का निर्धारण और विकास के लिए आवश्यकता पर प्रकाश डाला है।

4. Aims / objectives (उद्देश्य)

प्रस्तावित शोध निम्न उद्देश्य हेतु प्रस्तुत है :–

(i) बिरहोर जनजाति की शैक्षणिक स्थिति पर पड़ने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक कारकों के प्रभावों का अध्ययन।

(ii) बिरहोर जनजाति की शिक्षा संबंधी अवरोधों, समस्याओं, व शाला त्याग के प्रमुख कारणों का अध्ययन।

(iii) बिरहोर जनजाति के परिप्रेक्ष्य में शासन द्वारा संचालित विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों व योजनाओं का मूल्याँकन।

5. Noteworthy Contribution in the field of Proposed work
(प्रस्तावित शोधकार्य के क्षेत्र में विशेष योगदान)

गोयल (2005) के अध्ययनानुसार, बिरहोर जो आदिम जनजाति है, के बच्चों में शिक्षा के क्षेत्र में तुलनात्मक अध्ययन करने पर लड़कों की स्थिति लड़कियों से अच्छी पाई गई है किन्तु डेढ़ दशकों में बिरहोर जनजाति में कुछ सुधार हुआ है, विशेषतः महिला साक्षरता के दर में वृद्धि पाई गई है। साथ ही बिरहोर जनजाति समाज में लड़कियों के जन्म हेतु आदेश उच्च हुए है और लड़कियों की स्कूलों में भागीदारी पहले से बेहतर बनी है, किन्तु लड़कियों की शिक्षा की स्थिति में सुधार अपने से छोटे भाई–बहनों के देख–रेख और घर के लिए कार्य के बोझ तले दबी हुई है। अतः इनकी सुधार हेतु गोयल ने, शासन को नवीन सुझाव प्रस्तुत करने और आदिवासी बालिकाओं के शैक्षिक स्तर को ऊँचा बनाने पर बल दिया है।

गुप्ता एवं गुप्ता (2006) के मतानुसार, बिरहोर जनजाति में निरक्षरता को मुख्य अभिशाप के रूप में कहा जा सकता है, क्योंकि एक क्या अच्छा फायदेमंद है, क्या अनउत्पादक या हानिकारक है एवं वर्तमान स्थिति में उनके लिए सही और गलत क्या है, के बारे में ठीक से सोचने–समझने के लिए सक्षम नहीं है, इसी वजह से उनमें विकास के सारे प्रयास व्यर्थ चले गये है। इन्होंनें 1977 के कार्यक्रम में मानव वैज्ञानिकों को अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए सरकार को आह्वान किया है,ताकि जीवनशैली, अनुशासन, स्वास्थ्य और स्वच्छता आदि पर सांस्कृतिक आवश्यकताओं और शर्तों के अनुरूप उनका विकास किया जा सके। नृविभाग द्वारा नियुक्त शिक्षकों की सद्भावना, आदिवासियों के विकास हेतु तालमेल विकसित करेगी। बिरहोर में हाल के अध्ययनों में सरकार से एक सवाल उठाया गया है कि आदिवासियों के विकास, अभिभावकों द्वारा अपने बच्चों के स्कूल भेजने व उन्हें शिक्षा प्रदान करने हेतु पोशाक, पुस्तके, पठ्न–सामग्री, चेतना और जागरूकता के लिए सुविधाओं एवं भोजन के आवश्यकताओं को प्रदान करने पर बराबर ध्यान दिया जा रहा है कि नहीं, का अध्ययन शामिल है, क्योंकि सरकार को आदिवासियों द्वारा शिकायत प्राप्त हुई है कि उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए शिक्षकों द्वारा स्थानांतरण करने व पोशाक, किताबें, नियमित भोजन तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। वास्तव में जनजातियों के शैक्षिक विकास हेतु उनके व्यवहार और अनियमितताओं में सुधार के साथ, उनमें व्यवसायिक संबंध, आर्थिक गतिविधियाँ, स्कूल के समय में छात्रों के स्वभाव के संबंध में कोई समझौता ना होगा, अभिभावकों और छात्रों के बीच उत्साह और रूचि को बनाये रखने का प्रयास होना चाहिए ।

चौधरी (2006) के अनुसार, सामाजिक संपर्क के प्रसार के उद्देश्य से मटियाला गाँव में सन् 1962 में शिक्षा के लिए प्राथमिक स्कूल स्थापित किया गया था। अपने शोध में इन्होंनें बताया कि बिरहोर में शिक्षा की प्रगति के विश्लेषण में शिक्षा का विकास संतोषजनक नहीं है। वास्तव में इनमें प्रेरणा की कमी, गरीबी की अवस्था, और आजीविका की कमी औपचारिक शिक्षा को अपनाने में रूकावट पैदा करती है जबकि बिरहोर के जीवन में शिक्षा दूसरे शब्दों में औपचारिक या स्कूली शिक्षा एक नया आयाम है, किन्तु बेरसा और बरेरिया गाँव में प्राथमिक स्कूल के अभाव के कारण बिरहोर जनजाति के बच्चे स्कूल जाना पसंद नहीं करते है और जीवन आजीविका चलाने हेतु स्कूल जाने से बेहतर श्रम करने को विशेष महत्व देते है। किंतु बिरहोर जनजाति विभिन्न कार्यक्रमों और साक्षरता कार्यक्रम के तहत, स्कूली शिक्षा में बच्चों की शिक्षा हेतु दर्ज संख्या में बढ़ोत्तरी और माता–पिता की उत्प्रेरणा, बच्चों की शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

मेयती एवं भौमिक (2006) ने, बिरहोर जनजाति के जीवन की व्यवसायिक व आर्थिक स्तर पर अध्ययन कर बताया कि इन आदिवासी समाज में शहरीकरण का प्रभाव दो गुना बढ़ गया है। अब अधिक से अधिक श्रम प्राप्त करने और नौकरी करने के लिए अपने जगह को बदल देते है। उनके सामाजिक जीवन में यह बदलाव शिक्षा के कारण है, जबकि शिक्षा की दखलअंदाजी की वजह से इनमें बढ़ती व्यक्तिपरक दृष्टिकोण उनकी व्यक्तित्व के रूप में अच्छी तरह से बदलते रूझान को जोड़ रही है तथा उनके आर्थिक परिवर्तन में भी बदलाव ला रही है। व्यवसायिक व आर्थिक परिवर्तन में आदिवासी समाज शिक्षा के पहले लाभकारी काम लेने व घर चलाने हेतु अधिक कुशल श्रमिक बने में ज्यादा उत्साहित दृश्य होते है ताकि अपना जीवनयापन चला सके।

6. Research Methodology (अनुसंधान प्रविधि)

अध्ययन विधि.

प्रस्तावित शोध को क्षेत्रकार्य के द्वारा आवश्यक सूचना संकलित कर निम्न प्रविधियों द्वारा संपन्न किया जावेगा :–

(i). प्राथमिक तथ्यों का संकलन : विषय से संबंधित प्राथमिक तथ्यों का संकलन निम्न उपकरणों के द्वारा संपन्न किया जावेगा–

1. साक्षात्कार व संरचित अनुसूची।
2. अवलोकन विधि।
3. वैयक्तिक अध्ययन (केश स्टडी)।
4. छायाचित्र (फोटोग्राफी)।
5. समूह परिचर्चा (ग्रुप डिस्कशन)।

(ii). द्वितीयक तथ्यों का संकलनः– विषय से संबंधित द्वितीयक तथ्यों के संकलन हेतु निम्न स्त्रोतों का प्रयोग किया जावेगा–

1. शोध पत्र।
2. शोध प्रबंध।
3. विषय या अध्ययन संबंधी पुस्तकें।
4. षासकीय दस्तावेज।
5. अन्य माध्यम (जैसे– समाचार पत्र, पत्र–पत्रिकायें, इंटरनेट,टेलीविजन व अन्य)।

(iii). प्रतिदर्श चयन : तथ्यों का संकलन हेतु देव निदर्शन पद्धति द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त बिरहोर जनजाति के 200 परिवारों का चयन प्रस्तावित है। छत्तीसगढ़ राज्य के चार जिलों क्रमशः जशपुर, रायगढ़, कोरबा तथा बिलासपुर में निवासरत बिरहोर जनजाति में प्रत्येक जिले से 50–50 परिवारों को लेकर सूचनादाता के रुप में परिवार के मुखिया, कम से कम एक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं व षाला त्यागी बालक–बालिकाओं से तथ्यों का संकलन किया जावेगा। इसके अतिरिक्त सूचनादाता के रुप में अध्ययन क्षेत्र में अध्ययनरत बिरहोर जनजाति के बालक–बालिकाओं हेतु 20 विद्यालयों के उपलब्ध कम से कम एक शिक्षक–शिक्षकाओं से तथ्यों का संकलन किया जाना प्रस्तावित है ।

(iv). तथ्यों का विश्लेषण : आवश्यक सांख्यिकीय प्रविधियों के द्वारा तथ्यों का विश्लेषण किया जावेगा।

अध्ययन क्षेत्र.

विषय से संबंधित शोध छत्तीसगढ़ राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति बिरहोर की शैक्षणिक स्थिति में एक मानवशास्त्रीय अध्ययन पर प्रस्तावित है, जो छ.ग. राज्य के जशपुर, रायगढ़, कोरबा तथा बिलासपुर जिले की 14 विकासखण्डों में बिखरे हुए पर्वतीय क्षेत्र में निवासरत है। ये जनजाति बिलासपुर जिले के कोटा, मस्तूरी विकासखंड में, कोरबा जिले के कोरबा, पोड़ीउपरोड़ा, तानाखार व पाली विकासखंडों में, जशपुर जिला के बगीचा, दुलदुला, पत्थलगांव, कांसाबेल विकासखंडों में तथा रायगढ़ जिले के तमनार, धर्मजयगढ़, घरघोड़ा, लैलूंगा विकासखंडों में निवासरत है। आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर (छ.ग.) के द्वारा कराये गये आधारभूत सर्वेक्षण (2006) में बिरहोर जनजाति की कुल घरों की संख्या (Total Household) 689 प्राप्त हुई है(वैष्णव,2008)।

7. Expected Outcome of the Proposed work.
(प्रस्तावित शोध कार्य से प्राप्त संभावित निष्कर्ष)

प्रस्तावित शोध आदिवासी शिक्षा के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के बिरहोर जनजाति की शिक्षा के स्तर और शैक्षणिक स्थिति के अध्ययन पर समाहित है जिसमें शैक्षणिक स्थिति, आर्थिक स्थिति व शिक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं का निर्धारण कर शासन व समाज को अवगत कराया जायेगा, जिससे उनकी समस्याओं के निवारण में प्रस्तुत शोध सहायक सिद्ध हो सकता है। यह अध्ययन बिरहोर जनजाति की शैक्षणिक स्थिति के सुधार के साथ शिक्षा सम्बन्धी अन्य समस्याओं का निवारण कर उनकी विभिन्न सामाजिक–सांस्कृतिक व आर्थिक व्यवस्था के संरक्षण के साथ–साथ उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु भी महत्वपूर्ण हैं। अतः इस अध्ययन के द्वारा निम्न योगदान दिया जा सकता है–

1. प्रस्तावित शोध से बिरहोर जनजाति की शैक्षणिक स्थिति में सुधार के साथ–साथ शाला त्यागने के कारणों का समाधान किया जा सकता है।
2. यह शोध शिक्षा संबंधी विभिन्न समस्याओं पर शासन व समाज के समक्ष ध्यानाकर्षित कर समस्याओं के निवारण में व सही दिशा से योजना निर्मित करने तथा योजनाओं को लागू करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
3. प्रस्तावित शोध के द्वारा जनजातियों के विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन कर शैक्षिक विकास हेतु आवश्यक कारकों की पहचान की जा सकती है।
4. जनजातियों की शिक्षा संबंधी अवरोधों का अध्ययन कर उनमें शिक्षा के प्रति विकास की दिशा का निर्धारण किया जा सकता है तथा उनकी सामाजिक–सांस्कृतिक व आर्थिक स्थिति में सुधार के साथ–साथ उनकी संस्कृति संरक्षण में सहायता पहुँचायी जा सकती है।
5. शोध अध्ययन से प्राप्त परिणामों व निष्कर्षों के आधार पर नवीन सुझाव प्रस्तुत करना।

8. Bibliography (संदर्भ ग्रंथ सूची)

Bagai, S. and Nundy, N. (2009). *Tribal Education: A Fine Balance*. Dasra Publication, Maharastra ,5-45.

Basu, M. (1963). Anthropology in Tribal Education. *Bullettin of the cultural Research Insttitute*, 2,1:22-6.

Census Of India (2011).Office of the Registrar General & Commissioner,India(ORGI), Provisional Population Total Paper 1 of 2011: Chhattisgarh.

Chakravarti, M. and Singhrol, C. S. (1998). Problems of Tribal Education - A Key to development. *Man and life*,14,3-4:91-96.

Chowdhari,M.K. (2006).The Birhor in Transition. *In Anthropology of primitive tribes in India.Ed. Sharma, P.D.*, Serial Publ. New Delhi, 624-642.

Desai,S. & Kulkarrni,V. (2008). Changing educational inequalities in India in the Context of Affirmative Action. 45: 245-270.

Duary,N. & Haldar, A.K. (2006).Education among the Lodha of west Bengal. *In Anthropology of primitive tribes in India.Ed. Sharma, P.D.*,Serial Publ. New Delhi,130-150.

Elwin, Verrier (1963). *Muria and their Ghotul*, "Oxford university Press”.

Geetha, R. & Revathi, K. (2012). A Study on tribal education and development. *Research Journal of Social Science and Management,* 2: 8.

Goel , A. (2005). Literacy attainment among the Birhor, A Primitive Tribe of Madhya Pradesh : Finding from a sample survey in Raigarh district. *Regional Medical Research Center for tribals (ICMR), Jabalpur*, 35 : 62-68.

Goutam, V. (2003). Education of Tribal Children in India and the issue of medium Instruction:Janshala Experience: Vinoba Goutam, *Coordinator, UN/Government, Janshala Programme,* Delhi, India , 1-7.

Gupta,S.& Gupta,S. (2006). Development: Fallacy or Reality, A Case of Birhor Tribe of Chotanagpur Plateau. *In Anthropology of primitive tribes in India.Ed. Sharma, P.D.*, Serials Publication, New Delhi,560-583.

Heredia, R. C. (1996).Tribal education for development: Need for a liberative pedagogy for social transformation. *Journal of education and social change*,10:51-68.

Husnain, N.(2000). Tribal India. Jawahar publishers & distributers ,New delhi.

Jain, A. K. & Sharma, A.N.(2009).The impact of Education on the Economy among the Baiga Tribe in Madhya Pradesh, India : A brief Note. *Education, knowledge and Economy Journal,* 3: 177-182.

Krithiga, K.(2011). *Educational status of Scheduled Tribes in Nilgiris District* (Submitted synopsis of Ph.d thesis).Avinashiligam Deemed University Of women Coinbatore, Tamil Nadu,India.

Madan, T. N. (1952). Education of tribal India, Eastern Anthropologist. 5, 4: 179-82.

Maity, G. C. & Bhowmick, P. K. (2006). Occupational Mobility and Socio-Economic change among the Birhor, A micro level study in Purulia District.*In Anthropology of primitive tribes in India.Ed. Sharma, P.D.*,Serial Publ. New Delhi,237-271.

Ministry of Education & Social Welfare (1978). A Study of Administative Set up in States for Educational Programmes of Scheduled Castes & Scheduled Tribes, India, New Delhi.

Mukherjee,A.(2009). Tribal Education In India : An Examination of Cultural Imposition & Inequality. Cansas State University, 6-11T18,2:56 Z.

Padmanabhan, E.N. & Kumar, A.G. (2013) Attitude towards education of tribal student as affected by their self concept.*International Journal of Scientific Research Paper(IJSR)*,2:10.

Roy, S.C. (1978). The Birhor: A Little known, Jungle Tribe of Chotanagpur. *Man in India, office: Ranchi*.X,608: 298-9,.

Sahay, V. & Duary, N.(1998). The fading traditional tribals institutions of Chotanagpur:A Study of the Oraons and the Mundas. Vanyajati, XLVI, 4:20-28.

Sharma, A.N. (1999). Indian Anthropology. Expression publication Allahabad,India.

Sharma, K.R. (1994). Education attitude of tribal Student In J. P. Sharma, *Fifth Survey of Research in Education*, New Delhi, NCERT.

Sharma, S. (2007). *Tribal Sociology*. Madhya Pradesh Hindi Granth Academic,Bhopal.

Sujatha, K. (1989). *Education of the forgotten children of the forest : A case study of Yenadi Tribe*. Konark Publishers, Pvt. Ltd.India,208.

Trivedi, M. (2003). *Social Athropology*. Rajasthan Hindi Granth Acadamic,Jaipur.

Vaishnaw,T.K.(2008). *Chhattisgarh ki Adim Janjatiya*. Tribal research and training institute, Raipur.

Vidyarthi , L. P. (1955). Education in Tribal Bihar. *Man in India*, 35:1.

प्रो. डी. के. वर्मा शोध–निर्देशक	प्रो.मोयना चक्रवर्ती सहशोध–निर्देशक	रवि राहुल चक्रवर्ती शोध–छात्र

Forwarded

अरूण कुमार
प्रोफेसर एवं विभागाध्यक्ष
(Chairman, DRC)